


24.12.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र मे आवश्यक कार्यवाही नही कि जा रही है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे। उपस्थित नही आ रहे। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से क्म की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
एव उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

